भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*59
बुधवार, 26 जून, 2019/5 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोज़गारी की बढ़ती दर

*59. श्रीमती झरना दास बैद्यः

क्या श्रम और रोज़गार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बेरोज़गारी छः प्रतिशत की दर से बढ़ी है जो कि गत 45 वर्षों में सर्वाधिक है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक गिरावट आयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

बेरोज़गारी की बढ़ती दर के बारे में श्रीमती झरना दास बैद्य द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *59 के भाग (क) से (ग) के लिए दिनांक 26.06.2019 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क एवं ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर 6.1% थी। विगत 45 वर्षों के दौरान बेरोजगारी की दर नीचे दी गई है:

1972-73 से 2017-18 तक सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार बेरोजगारी की दर (% में)				
सर्वेक्षण वर्ष	*ग्रामीण*		*शहरी*	
	पुरूष	*महिला*	*पुरूष*	*महिला*
2017-18* (पीएलएफएस)	**5.8**	**3.8**	**7.1**	**10.8**
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	**1.7**	**1.7**	**3.0**	**5.2**
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	**1.6**	**1.6**	**2.8**	**5.7**
2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	**1.6**	**1.8**	**3.8**	**6.9**
1999-00 (एनएसएस 55वां दौर)	**1.7**	**1.0**	**4.5**	**5.7**
1993-94 (एनएसएस 50वां दौर)	**1.4**	**0.9**	**4.1**	**6.1**
1987-88 (एनएसएस 43वां दौर)	**1.8**	**2.4**	**5.2**	**6.2**
1983 (एनएसएस 38वां दौर)	**1.4**	**0.7**	**5.1**	**4.9**
1977-78 (एनएसएस 32वां दौर)	**1.3**	**2.0**	**5.4**	**12.4**
1972-73 (एनएसएस 27वां दौर)	**1.2**	**0.5**	**4.8**	**6.0**

*(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पूर्व के एनएसएस दौर के परिणामों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

**(पीएस+एसएस=प्रमुख स्थिति + सहायक स्थिति)*

(ग): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय श्रमबल सर्वेक्षण आयोजित किए गए थे। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान आयोजित किया गया था। अब, एनएसएसओ वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) करने लगा है, जो 2017-18 के दौरान आयोजित किया गया था। 2011-12 एवं 2017-18 के दौरान देश में सभी आयु के ग्रामीण एवं शहरी व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात नीचे दिया गया है:

कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
क्षेत्र	**2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)**	**2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)**	**2017-18* (पीएलएफएस)**
ग्रामीण	**40.8**	**39.9**	**35.0**
शहरी	**35.0**	**35.5**	**33.9**
ग्रामीण+शहरी	**39.2**	**38.6**	**34.7**

*(टिप्पणी: *तुलना हेतु, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिसके तहत सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)*

नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 31.05.2019 तक, योजना ने 151579 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए हैं।

मेक इन इंडिया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे निवेश की सुविधा प्रदान करने, अभिनवीकरण को बढ़ावा देने, कौशल विकास का संवर्धन करने, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करने एवं बेहतर विनिर्माण अवसंरचना को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार देशभर में विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा वैश्विक विनिर्माण स्थल के रूप में भारत को प्रक्षेपित करने के लिए एक चहुमुखी कोरिडोर तैयार कर रही है। मेक इन इंडिया परियोजना 25 प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिसमें विमानन, विनिर्माण, चमड़ा, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन एवं आतिथ्य, ऑटो मोबाइल, ऑटो-कलपुर्जे, खाद्य प्रसंस्करण, सड़क एवं राजमार्ग, खदान, आईटी एवं बीपीएम इत्यादि शामिल होंगे। स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने तथा उनकी रोजगार आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगा।

*****